संख्या : 10-दो(3)/XXXV1(2)/2008-1-दो(3)/08

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 31 जनवरी, 2009

विषय: उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल हेतु 100 के०वी०ए० के दो साइलेन्ट डी०जी०सेट (जनरेटर) एवं फायर फाईटिंग उपकरण क्रय करने के लिए वित्तीय वर्ष 2008-2009 में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से अतिरिक्त धनराशि के व्यावर्तन कर व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-4810/यू०एच०सी०/एडमिन-बी/IX-b/2008, दिनांक 20.12.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल हेतु 100 के०वी०ए० के दो साइलेन्ट डी०जी०सेट (जनरेटर) एवं फायर फाईटिंग उपकरण क्रय करने के लिए रु० 14,72,000/- के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 14,56,000/-(12.28+2.28 लाख), (चौदह लाख छप्पन हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 में मानक मद संख्या-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के सम्प्रति बजट में धनराशि अवशेष न होने के कारण तथा वर्तमान में आवश्यकता के दृष्टिगत संलग्न बी०एम०-15 के स्तम्भ-1 में अंकित मदों में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से बी०एम०-15 के स्तम्भ-5 में अंकित मद संख्या-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में कुल रु० 14,56,000/- (चौदह लाख छप्पन हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यावर्तित कर निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(4) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(5) निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानको एवं स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये ।

(6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे ।

(10) निर्माण इकाई कार्य 31.3.2009 तक समाप्त करते हुए स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-09-उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी-00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या- 567/एन0पी0/XXVII(5)/2009, दिनांक 20.1.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संलग्नक- बी०एम०-15

संख्या- /06-दो(3)/XXXVI(2)/2008-1-दो(3)/08 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4- अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली, नैनीताल ।
5- नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
6- एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

बी एम–15

पुनर्विनियोग 2008–2009 आयोजनेत्तर

नियंत्रक अधिकारी का नाम– निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ।

प्रशासनिक विभाग का नाम– न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

(धनराशि हजार रूपयों में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण		मानक मदवार अवास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है एवं ...नान्तरित धनराशि		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
1		2	3	4	5		6	7	8
2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन न्यायाधीश–00–14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1500	-	1000	500	2014–न्याय प्रशासन–800–अन्य व्यय–09–उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी–00			1044	क- मितव्ययता के कारण उपलब्ध बचत ख- प्राविधान न होने एवं आवश्यकता होने के कारण
2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–105 –सिविल और सेशन्स न्यायालय–08–रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय–00–14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	500	-	-	500 क	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1456–ख	1896	-	
2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–108–दण्ड न्यायालय–03–नियमित अधिष्ठान–00 –14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	500	-	-	500					
कुल धनराशि	2500	-	1000	1500		1456	1896	1044	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्या- 547 एफ-क/ XXVII(5)/2009
देहरादून : दिनांक : 28 जनवरी, 2009
पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,
माजरा, देहरादून ।

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या–10–वी(3)XXXVI(2)2009–1–वी(3)/08–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
2 निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ।
3 वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4 वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन/एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।